सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 चैत्र, 1940 (श०)

संख्या- 427 राँची, बुधवार, 11 अप्रैल, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

13 मार्च, 2018

कृपया पढ़ें-

1. उपायुक्त, चतरा का पत्रांक-1290 दिनांक 21 नवम्बर, 2012 एवं पत्रांक-720, दिनांक 22 दिसम्बर, 2012
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का संकल्प सं०-5005, दिनांक 11 जून, 2013, संकल्प सं०-4193, दिनांक 11 मई, 2015, पत्रांक-6314, दिनांक 18 मई, 2017, पत्रांक-7650, दिनांक 29 जून, 2017 एवं पत्रांक-9381, दिनांक 29 अगस्त, 2017
3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-118, दिनांक 8 जुलाई, 2016
4. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-365, दिनांक 8 फरवरी, 2018

संख्या- 5/आरोप-1-55/2014 का.-1829-- श्री अगुस्टिन प्रफुल्ल बेग, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-750/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हंटरगंज, चतरा, सम्प्रति अंचल अधिकारी, हरिहरगंज, पलामू के विरूद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-1290 दिनांक 21 नवम्बर, 2012 द्वारा इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हंटरगंज, चतरा के पद पर कार्यावधि में इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन संबंधी अनियमितता के लिए प्रपत्र-'क' में आरोप प्रतिवेदित है । उक्त के अनुसार गलत ढंग से लाभुकों के चयन करने का आरोप जाँच में प्रमाणित है एवं उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-720, दिनांक 22 दिसम्बर, 2012 द्वारा श्री बेग के विरूद्ध पूर्व में रद्द की गयी अवैध जमाबंदी के आधार पर शिव प्रसाद सिंह वगैरह के पक्ष में एल०पी०सी० निर्गत करने, जिससे एक ही भूमि की दोहरी जमाबंदी कायम करने संबंधी आरोप प्रमाणित है । साथ ही, सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना ससमय उपलब्ध नहीं कराने के कारण इन्हें राज्य सूचना आयोग, झारखण्ड द्वारा 25-25 हजार रूपये का आर्थिक दण्ड दिया गया है । इनका यह कृत्य सूचना अधिकार अधिनियम की धारा-20 (1) एवं (2) तथा 19 (8) बी० का उल्लंघन है ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं०-5005, दिनांक 11 जून, 2013 द्वारा श्री बेग के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । पुनः संकल्प सं०-4193, दिनांक 11 मई, 2015 द्वारा श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-118, दिनांक 8 जुलाई, 2016 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें आरोपों को प्रमाणित पाया गया है ।

श्री बेग के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (ix) के तहत् अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया गया ।

उक्त प्रस्तावित दण्ड को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरांत प्रस्तावित दण्ड क्यों नहीं अधिरोपित किया जाय के संबंध में विभागीय पत्रांक-6314, दिनांक 18 मई, 2017 द्वारा श्री बेग से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। इनका जवाब अप्राप्त रहने पर पत्रांक-7650, दिनांक 29 जून, 2017 एवं पत्रांक-9381, दिनांक 29 अगस्त, 2017 द्वारा स्मारित किया गया ।

श्री बेग से उत्तर अप्राप्त रहने पर दिनांक 26 नवम्बर, 2017 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पुनः 7 दिनों का समय देते हुए द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया । फिर भी श्री बेग द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित नहीं किया गया ।

अतः श्री बेग से उत्तर अप्राप्त रहने के कारण झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(ix) के तहत् अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया ।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-365, दिनांक 8 फरवरी, 2018 द्वारा श्री बेग को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने संबंधी दण्ड अधिरोपित किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी है ।

तत्पश्चात् दिनांक 6 मार्च, 2018 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में श्री बेग को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है ।

अतः श्री अगुस्टिन प्रफुल्ल बेग, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-750/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हंटरगंज, चतरा, सम्प्रति अंचल अधिकारी, हरिहरगंज, पलामू को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (ix) के तहत् अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 427 -- 50